

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक. क.-185/2015

संस्थित दिनांक-13.03.2015

फाइलिंग नं.-234503002112015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

पूरनसिंह पिता सोनू उर्फ सवनूसिंह, उम्र-32 साल, जाति बैगा,  
निवासी-वार्ड नंबर-1, ग्राम सिंघबाघ,  
थाना बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/06/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि दिनांक-23.11.2014 को सुबह 9:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सिंघबाघ में फरियादी के मकान के आंगन में लोकस्थान पर फरियादी कलमसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत कलमसिंह को बांस के डण्डे को धारदार हथियार के रूप में उपयोग करते हुए उसके सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि। फरियादी कलमसिंह ने दिनांक-23.11.2014 को पुलिस थाना बैहर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह 9 बजे वह अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी आरोपी पूरनलाल उसके घर आया और बोला की काम करने चलते हैं। उसने मना किया तो आरोपी उसे माँ-बहन की अश्लील गालियां देने लगा और बांस के डण्डे से उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी योगेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक-199/2014, धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत कलमसिंह का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के

दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**3—** आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी ने आरोपी से राजीनामा किया। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 शमनीय न होने से विचारण किया गया।

**4—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-23.11.2014 को सुबह 9:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सिंघबाघ में फरियादी के मकान के आंगन में आहत कलमसिंह को बांस के डण्डे को धारदार हथियार के रूप में उपयोग करते हुए उसके सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

#### विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

**5—** अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी फरियादी कलमसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी पूरनसिंह को जानता है। घटना दिनांक-23.11.2014 की है। आरोपी से उसका विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी ने उसे गाली-गलौज कर धक्का मुक्की की थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने घटना दिनांक को आरोपी ने उसे बांस के डण्डे से मारा था। यह बात उसने पुलिस को नहीं बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि यदि बांस के डण्डे से मारने वाली बात उसकी रिपोर्ट में लेख हो तो वह कारण नहीं बता सकता।

**6—** आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की धाराओं में दोषमुक्त किया जा चुका है, किन्तु आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 अशमनीय न होने से निर्णय किया जा

रहा है।

7— फरियादी ने अपने कथन में यह कहा है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से विवाद हुआ था। साक्षी ने यह बात नहीं कही है कि आरोपी ने उसे किसी धारदार वस्तु से उसे चोट पहुंचाई है। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अन्तर्गत अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत कलमसिंह को धारदार बांस के डण्डे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा बांस का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् रूप से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

बैहर  
दिनांक-16.06.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट